



भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294293
ई-मेल / E-mail: haresh.d@gov.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in



फा.सं. सीपज़-सेज/श्रम-18/4/2022-श्रम/00554

दिनांक: 12/01/2023

परिपत्र संख्या/श्रम/02/2022-23

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48(1) के साथ पठित महाराष्ट्र कारखाना नियम 1963 के नियम 87 के अनुसार, प्रत्येक कारखाने जिसमें 50 (पचास) से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, उनके शिशु के लिए एक उपयुक्त कमरा (शिशुगृह) या कमरे बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ महिला कर्मचारियों के छह साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल की जाती है।

महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017, अध्याय v धारा 23 के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहाँ 50 (पचास) या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ शिशुगृह (क्रेच) सुविधा प्रदान करनी चाहिए इसके लिए उपयुक्त कमरा (शिशुगृह) बनाए रखा चाहिए। उसमें कामगारों के बच्चों के उपयोग के लिए शिशुगृह (क्रेच) के रूप में कमरा उपलब्ध करना है।

बशर्ते कि, यदि स्थापना का एक समूह, एक किलोमीटर के दायरे में एक सामान्य शिशुगृह (क्रेच) प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो उसे मुख्य फैसिलिटेटर द्वारा अनुमति दी जाएगी, ऐसी शर्तों के अधीन जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।


सीपज़ प्राधिकरण के अभिलेखों से यह देखा गया है कि आप अपने कारखाने/यूनिट में 50 से अधिक महिला कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रावधान आप पर लागू होते हैं और आपकी महिला कर्मचारियों को शिशुगृह (क्रेच) सुविधा प्रदान करना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आपकी यूनिट में शिशुगृह (क्रेच) सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में, आपकी यूनिट बीएफसी बिल्डिंग के भूतल पर स्थित सीपज़-सेज प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य शिशुगृह (क्रेच) सुविधा का लाभ उठा सकती है। इसके लिए सीपज़ प्राधिकरण प्रति वर्ष 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) शुल्क ले रहा

12/1

है। भुगतान "सीपज़-सेज़ प्राधिकरण कोष" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना है। सीपज़ प्राधिकरण सामान्य शिशुगृह (क्रेच) सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जैसा कि यूनिट धारकों के लिए निदेशक, स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग (महाराष्ट्र सरकार) को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी यूनिट में शिशुगृह (क्रेच) सुविधा प्रदान करने के बारे में जानकारी प्रदान करें या उपरोक्त वर्णित आवश्यक शुल्कों का भुगतान करके सीपज़ प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली "सामान्य शिशुगृह (क्रेच) सुविधा" की सेवाओं का लाभ उठाएं।

इसे विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(सीपीएस चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़